UPJB010035692026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–930/2026

योगेशपाल उर्फ रवि आयु करीब 22 वर्ष , पुत्र वीरपाल सिंह , निवासी ग्राम सरथल , थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

एवं

UPJB010035802026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–936/2026

विजेन्द्र सिंह आयु करीब 26 वर्ष पुत्र पप्पू उर्फ बुद्धसेन, निवासी ग्राम मानकपुर, थाना धनारी, जिला सम्भल ।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–91/2026
धारा 140(2) बी.एन.एस.
थाना रजबपुर , जिला अमरोहा।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.07.02 16:28:13 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत प्रार्थना– पत्रों का निस्तारण

दिनांकः 02.07.2026

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **योगेश पाल उर्फ रवि व विजेन्द्र सिंह** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त दोनों पृथक–पृथक जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

02. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व अपराध से सम्बन्धित होने के कारण इनको एक ही आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना उपयुक्त है।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा **अनुज कुमार** द्वारा संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी कि दिनांक 16.05.2026 को वह अपने परिवार रिश्ते में चाचा दीपांशू चौहान के साथ जरूरी काम से अमरोहा नगर आये थे तभी दीपांशू के मोबाईल पर किसी व्यक्ति का फोन आया और दीपांशू ने कहा कि धर्मेन्द्र का फोन आया है, उसे अतरासी कला एचपी गैंस कम्पनी होटल के पास मिलने के लिये बोला है तब वादी मुकदमा और दीपांशू दोनों अतरासी के पास स्थित ढाबे पर समय करीब 01.00 बजे दिन में आ गये थे। समय करीब 03.00 बजे दिन में अतरासी कला गांव की ओर से एक ग्रे रंग की महेन्द्रा बुलेरो कार यूपी 38 नम्बर की आयी उसके अन्दर तीन–चार लड़के बैंठे हुए थे उन्होंने दीपांशू को बातों में लेकर हसनपुर रोड़ पर प्लॉल दिखाने के बहाने से बैठा लिया और वादी से बोले कि तुम यहीं रूको हम अभी आते हैं और ये लोग दीपांशू चौहान को ले गये। करीब 02 घण्टे वादी के फोन पर दीपांशू चौहान के फोन से व्हाट्सप कॉल करके इन लोगों में से एक ने कहा कि दीपांशू के इसी नम्बर पर पांच लाख रूपये डालने की फिरौती की मांग की और कहा कि यदि पैसे नहीं डाले तो हम इसे जान से मार देंगे। इसके बाद इन लोगों ने दीपांशू के नम्बर से व्हाट्सप कॉल करके गांव के ही पवन कुमार के मोबाईल नम्बर पर भी चार लाख रूपये तुरंत डालने की मांग की। इस घटना की सूचना वादी ने अपने फोन से 112 नम्बर पुलिस पर की थी, पुलिस मौके पर आयी थी। इन्ही लोगों ने दीपांशू चौहान का अपहरण करके कहीं पर बंधक बनाकर कहीं पर रखा हुआ है।

04. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **योगेशपाल उर्फ रवि व विजेन्द्र सिंह** की ओर पृथक– पृथक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त रूप में यह कथन किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है तथा वह प्राथमिकी में नामजद नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से हुई है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि पीड़ित दिखाये गये व्यक्ति पर अभियुक्तगण का उधार था, इसी सिलसिले में दबाव बनाने के लिए यह फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे, इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

05. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है , इसलिए अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

06. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया गया। इस जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः-

I. **केस डायरी में पुलिस के द्वारा कथित पीड़ित की बरामदगी के दिये गये विवरण के अनुसार पीड़ित कार की डिग्गी में पाया गया। पीड़ित के दोनों हाथ मफलर से और पैर नाईलोन की रस्सी से बंधे हुए थे।**
परन्तु केस डायरी के साथ संलग्न चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में हाथ और पैरों पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं पाया गया है जो प्रथम दृष्टया हाथ और पैर बंधे होने की पुष्टि करता हो।

II. **प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16.05.2025 की अपराह्न 03.00 बजे अभियुक्तगण कथित पीड़ित को लाभ पहुंचाने का झांसा देकर अपने साथ बैठाकर ले गये थे। अगले दिन 17 तारीख की रात्रि को पुलिस के द्वारा पीड़ित को बरामद कर लिया गया। पीड़ित ने बताया कि उसे लगातार प्लास्टिक की छड़ी से मारा पीटा गया था , अर्थात दिनांक 17.05.2026 को पीड़ित के साथ मारपीट की गयी, परन्तु अगले ही दिन दिनांक 18.05.2026 को हुई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में शरीर पर पायी गयी चोटें तीन से चार दिन पुरानी होना चिकित्सक ने बतायी है। सभी चोटें साधारण प्रकृति की है।**

III. **अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास या आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

IV. **कार में छिपे हुए अभियुक्तों धर्मेन्द्र और विजेन्द्र के पैर में मुठभेड में पुलिस की गोली लगी हुई है, जबकि कार की आड़ से खुले में खड़ी पुलिस टीम पर चलायी गयी अभियुक्तों की गोली से किसी भी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आयी है। अभियुक्त योगेश पाल उर्फ रवि को मौके से भाग जाना तथा पुलिस के द्वारा दौड़कर पकड़ा जाना बताया गया है।**

V. **पांच लाख रूपये की फिरौती की मांग पीड़ित के फोन से ही पारिवारिक रिश्ते के भतीजे वादी मुकदमा से व गांव के पवन कुमार और नईम से चार लाख रूपये फिरौती की मांग करना बताया गया जिसमें से केवल नईम के द्वारा पांच हजार रूपये मोबाईल फोन पर भेजा गया। कथित पीड़ित के मां–बाप , भाई , बहन या सगे चाचा , सगा भतीजा , पत्नी आदि किसी से फिरौती न मांगने के स्वाभाविक प्रश्न के सम्बन्ध में अभियोजन का कोई स्पष्टीकरण नहीं है , न ही इस बिन्दु पर विवेचक ने पीड़ित से कोई पूछताछ की है।**

VI. **अभियुक्तगण दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।**

07. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण **योगेशपाल उर्फ रवि व विजेन्द्र सिंह** को जमानत के आधार पर्याप्त पाते हुए निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की जा रही है–

1. अभियुक्तगण अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित विचारण/सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से न्यायालय को अवगत कराते हुए **संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का बन्धपत्र और या निर्धारित प्रतिभूति/प्रतिभूतियां निष्पादित करके जमानत का लाभ प्राप्त करेगा।**

2. दौरान विवेचना/ विचारण में सहयोग करेगा व हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

3. न्यायालय द्वारा विचारण की स्वतन्त्रता के लिए जो भी विधिसम्मत शर्ते अपने

आदेश में तय की जायेंगी , उनका पालन करेगें।

4. विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाया जाने पर पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सहयोग करेंगे।

5. विचारण के दौरान कार्यवाही को बाधित नहीं करेगें और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

6. अभियुक्तगण यदि बंधपत्र में दिये गये अपने पते में परिवर्तन करते हैं , तो इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को या आरोप पत्र आ जाने पर न्यायालाय को देनी होगी। इस शर्त का पूरा कराने का दायित्व भी प्रतिभूगण का होगा।

7. यदि जमानती दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना अभियुक्तगण को तत्काल न्यायालय को देनी होगी और अपना समर्पण न्यायालय के समक्ष करते हुए नये प्रतिभू उपलब्ध कराने होंगे, ऐसा न होने पर यह आधार जमानत निरस्तीकरण के लिये पर्याप्त होगा।

8. शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त शर्तो का प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनकी जमानत विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–02.07.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।